46820
16/10/2014

सेवामें,

श्रीमान् जन सूचना अधिकारी
रेलवे बोर्ड, रेल भवन,
नई दिल्ली

विषय :– जन सूचना एक्ट 2005 के अन्तर्गत सूचनाए उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

विनम्र निवेदन है कि जन सूचना एक्ट 2005 के अन्तर्गत प्रार्थी को RBE No. 91/2012 में ट्रेकमैंन संवर्ग में पुनः सरचना/पुर्नगठन योजना (Restructuring/Reorganisation of Staff Pattern of Trackmen on Indian Railways.) के सम्बन्ध में निम्न लिखित सूचनाए हिन्दी भाषा में उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

1 इस योजना के सम्बन्ध में आज तक जारी समस्त पत्रो की हिन्दी अनुवादित प्रति उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

2 इस योजना का लाभ पात्र कोटि में कार्यरत कर्मचारियो को किस तिथि से देय है ?

3 इस योजना में ट्रेकमैन्टेनर–I, ट्रेकमैन्टेनर–II, ट्रेकमैन्टेनर–III एवं ट्रेकमैन्टेनर–IV हेतु फाईनल प्रतिशत क्या रखा गया है ?

4 इस योजना का लाभ कार्यरत कर्मचारियो को देने हेतु वरियता सूचि का आधार निम्न में क्या रखा गया है?

(अ) मण्डल में कार्यरत पात्र कोटि के समस्त कर्मचारियो की सयुक्त वरियता सूचि के आधार पर (On the bases of Divisional Seniority)

(ब) उपमण्डल में (सहायक मण्डल अभियन्ता के अधीन) कार्यरत पात्र कोटि के समस्त कर्मचारियो की सयुक्त वरियता सूचि के आधार पर {On the bases of Sub-Divisional Seniority (ADEN's Seniority)}

(स) वरिष्ठ खण्ड अभियन्ता/रेलपथ के अधीन कार्यरत पात्र कोटि के समस्त कर्मचारियो की सयुक्त वरियता सूचि के आधार पर (On the bases of SSE(P.way)/ PWI Seniority)

5 यदि वरियता सूचि वरिष्ठ खण्ड अभियन्ता/रेलपथ के स्तर पर बनाई जानी है तो कृपया स्पष्ट करने का श्रम करें कि जिस यूनिट में कार्यरत कर्मचारियो की संख्या कम है उदहारण के लिये मान लिया जाये कि एक ही सहायक मण्डल अभियन्ता के अधीन तीन यूनिट हैं इनमे से एक यूनिट में पात्र कोटि के स्वीकृत पद मात्र 10 है तथा इस यूनिट के 5 कर्मचारी उपमण्डल में सबसे सीनियर है तो इन कर्मचारियो को ट्रेकमैन्टेनर–I का लाभ किस प्रकार प्रदान किया जायेगा अथवा इस यूनिट के किसी भी कर्मचारी को ट्रेकमैन्टेनर–I का लाभ किस प्रकार प्रदान किया जायेगा अथवा कब किया जायेगा ?

इसी प्रकार अन्य दो यूनिटो में पात्र कोटि के स्वीकृत पदो की संख्या 250–250 है परन्तु इनमें से एक यूनिट का सर्जन ही मान लिया जाये कि 2007 में हुआ है एवं इस यूनिट में कार्यरत कर्मचारियो की संख्या मात्र 100 है एवं इन समस्त कर्मचारियो की रेल सेवा में नियुक्ति 2007 के बाद की है जबकि दूसरी यूनिट में कार्यरत कर्मचारियो की संख्या 248 है एवं इन समस्त कर्मचारियो की नियुक्ति 1999 से पूर्व की है।

अतः एक ही उपमण्डल में कार्यरत 2007 के बाद का कर्मचारी ट्रेकमैंन्टेनर–I का लाभ प्राप्त कर लेगा जबकि दूसरी यूनिट का 1999 से पूर्व का कर्मचारी ट्रेकमैंन्टेनर–II के लाभ से भी वंचित रहेगा।

इस विसंगति को दूर करने के लिये इस योजना के तहत क्या प्रावधान रखे गये है ?

6 इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिये पात्र कोटि के समस्त कर्मचारियो ट्रेकमैन, गेटमैंन, ट्रोलीमैंन, चाबीवाला, चौकिदार एवं जमादार की सयुक्त वरियता सूचि बनाई जानी है अथवा अलग–अलग ?

7 क्या इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिये वरियता सूचि में प्रथम स्थान पर यूनिट में कार्यरत समस्त जमादार को द्वितीय स्थान समस्त चाबीवालो एवं इसके बाद समस्त पात्र कोटि के कर्मचारियों की संयुक्त वरियता बनाई जानी है। कृपया स्पस्ट करे की वरियता सूचि किस प्रकार बनाई जानी है ?

8 यदि किसी ट्रेकमैंन को एमएसीपी के तहत जीपी 2400 का लाभ पहले से ही प्रदान किया गया है एवं किसी चाबीवाले की वर्ततान जीपी 1800 ही है तो इन दोनो कर्मचारियो का वरियता कम किस प्रकार निर्धारित किया जायेगा ?

–लगातार–

9 इस योजना के अन्तर्गत पात्र कोटि के कर्मचारियो को एक बार लाभ प्रदान किये जाने के पश्चात इसे रिवाईज करने की समयावधि क्या होगी अर्थात लाभ से वंचित शेष बचे हुये कर्मचारियों को इस योजना का लाभ कब प्रदान किया जायेगा तथा ट्रेकमैन्टेनर–III का लाभ ले चूके कर्मचारी को ट्रेकमैन्टेनर–II अथवा ट्रेकमैन्टेनर–I का लाभ कब एवं किस प्रकिया से प्रदान किया जायेगा ?

10 इस योजना में ट्रेकमैन्टेनर–I, ट्रेकमैन्टेनर–II, ट्रेकमैन्टेनर–III एवं ट्रेकमैन्टेनर–IV पदो हेतु कार्य विभाजन किस प्रकार किया गया है ?

11 इस योजना के लागू होने के पश्चात क्या वर्तमान पदनाम ट्रेकमैन, गेटमैंन, ट्रोलीमैंन, चाबीवाला, चौकिदार एवं जमादार समाप्त हो जायेगे एवं इनके स्थान पर केवल ट्रेकमैन्टेनर–I, ट्रेकमैन्टेनर–II, ट्रेकमैन्टेनर–III एवं ट्रेकमैन्टेनर–IV ही रहेगे ?

12 इस योजना के तहत लाभ हेतु पात्र कर्मचारी की जीपी परिवर्तन के साथ क्या उसे एक इनक्रिमेंट भी दिया जाना है अथवा नही ?

13 यदि इनक्रिमेंट दिया जाना है तो यह स्पष्ट करने का श्रम करे कि इनक्रिमेंट पुरानी जीपी पर दिया जायेगा अथवा नई जीपी पर ?

14 इस योजना के लागू होने के बाद सेवा निवृत हुये कर्मचारियो को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा अथवा नही ?

15 जिन कर्मचारियो को एमएसीपी के तहत जीपी 2000 का लाभ प्रदान किया गया है योजना लागू होने के बाद उनकी जीपी क्या होगी ?

16 यदि किसी कर्मचारी की सेवा 9 वर्ष हो चूकि है एवं उसे इस योजना के तहत जीपी 1900 का लाभ प्रदान किया जाता है तो यह स्पष्ट करने का श्रम करें कि उसे एक वर्ष बाद अर्थात 10 वर्ष की सेवा करने के बाद अगली जीपी का लाभ प्रदान किया जायेगा अथवा नही ?

17 लाभ हेतु वरियता सूची आरक्षण रोस्टर के अनुसार बनाई जानी है अथवा समान्य सूची के अनुसार ही लाभ का भुगतान किया जाना है ?

नियमानुसार बतौर सूचना के शूल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑडर सं. 14F 684190 संलग्न है।

स्थाई पता :–
माजिद खॉंन पुत्र श्री मोहम्मद अली खॉंन
रामपुरा बस्ती, गली न. 24
नजदीक रेलवे मस्जिद, लालगढ़
बीकानेर (334001)
Mail ID : majid.vs.khan@gmail.com
मोबाईल न. +919799900786
+918058880786

प्रार्थी
माजिद खॉंन